

अंडमान और निकोबार प्रशासन
मुख्य अभियंता का कार्यालय
अंडमान लोक निर्माण विभाग
नगर तथा ग्राम योजना एकक
श्री विजया पुरम



ANDAMAN & NICOBAR ADMINISTRATION
OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER
ANDAMAN PUBLIC WORKS DEPARTMENT
TOWN & COUNTRY PLANNING UNIT
E-MAIL: tcpdtcp@gmail.com

File No. TP-21/CE/2026/(e-142551)/3309 Sri Vijaya Puram, Dated 22 July, 2026

To

The Chief Editor,
The Dweep Samachar,
Govt. Press, Sri Vijaya Puram

Sub: Request for publication of Draft Notification for Amendment of A&N Islands Town and Country Planning Rules, 2005 – reg.

Sir,

I am directed to forward herewith a hard and soft copy of the Draft Notification for inviting suggestions/objections for Amendment of Andaman & Nicobar Islands Town and Country Planning Rules, 2005 in Hindi for publishing in the Daily Telegrams for three consecutive days.

The invoice for settlement of payment for above publication may kindly be raised in the name of the Undersigned and sent to this Office for settlement.

Yours faithfully,

Encl: As above

Copy to:-

1. PS to Chief Secretary, A &N Administration for kind information of Chief Secretary.
2. PS to Commissioner-cum-Secretary (PWD), A &N Administration for kind information of Commissioner-cum-Secretary (PWD).
3. PS to Secretary (PWD), A &N Administration for kind information of Secretary (PWD).
4. PS to Chief Engineer for kind information of Chief Engineer & Town Planner.
5. The Executive Engineer (E&M)(Plg), CE's Office, APWD alongwith a hard and soft copy of the Modification Proposal in Form-III for uploading in the APWD Website as announcement.
6. The Executive Officer, SOVTECH, DBRAIT Complex, Pahargaon, Sri Vijaya Puram alongwith a hard and soft copy of the Modification Proposal in Form-III for uploading in the A & N Administration website as announcement.

Town & Country Planner

Town & Country Planner

अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह टाउन एंड कंट्री प्लानिंग नियम, 2005 में संशोधन का प्रस्ताव

भारत सरकार ने अंडमान तथा निकोबार टाउन एंड कंट्री प्लानिंग रेगुलेशन, 1994 (A&NITCP) विनियमन 1994) (1994 का संख्या 07) को भारत के राजपत्र में दिनांक 05/08/1994 के संख्या 61 के तहत जारी और अधिसूचित किया था, जिसे बाद में दिनांक 19/12/1994 के संख्या 61 के तहत फिर से अण्डमान तथा निकोबार के राजपत्र में अधिसूचित किया गया। इसके बाद, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक/माननीय उप-राज्यपाल ने अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (A&NITCP) विनियमन, 1994 की धारा-34 के तहत नियम बनाने की शक्तियों का प्रयोग करते हुए अंडमान तथा निकोबार टाउन एंड कंट्री प्लानिंग नियम, 2005 को दिनांक 28/09/2005 के संख्या 283 के तहत बनाया और अधिसूचित किया।

जबकि, अंडमान तथा निकोबार प्रशासन ने अंडमान तथा निकोबार टाउन एंड कंट्री प्लानिंग नियम, 2005 में संशोधन करके कुछ प्रावधान शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। इसका उद्देश्य 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' (EoDB) के 'अनुपालन में कमी और विनियमन-मुक्त करने (Deregulation) - चरण-II' को सुविधाजनक बनाना है। इसमें मौजूदा मास्टर प्लान की वैधता को कुछ संशोधनों के साथ बढ़ाने का प्रस्ताव है, ताकि उस विकास क्षेत्र के लिए प्रशासक द्वारा मास्टर प्लान को अंतिम रूप देने और मंजूरी मिलने तक अनुमति दी जा सके।

तदनुसार, सभी संबंधित लोगों से 'अनुलग्नक -I' (Annexure-I) में दिए गए संशोधन प्रस्ताव पर राय, सुझाव और टिप्पणियां मांगी गई हैं। अनुरोध है कि संशोधन प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति/सुझाव/टिप्पणी, हो तो अधिसूचना जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर 'मुख्य अभियंता और नगर योजनाकार, मुख्य अभियंता का कार्यालय, अण्डमान लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, पोर्ट ब्लेयर' को भेजी जाए। राय ई-मेल tcpdtcp@gmail.com पर भी भेजी जा सकती है।

मुख्य अभियंता और नगर योजनाकार

मसौदा अधिसूचना

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह टाउन एंड कंट्री प्लानिंग रेगुलेशन, 1994 (1994 का नंबर 7) की धारा 34 की उप-धारा-1 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उप-राज्यपाल (प्रशासक) एतद्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह टाउन एंड कंट्री प्लानिंग नियम, 2005 (जो 28/09/2005 को नंबर 275/2005 के तहत नोटिफाई किए गए थे) में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव करते हैं: -

“अंडमान और निकोबार द्वीप समूह नगर और ग्राम योजना (संशोधन) नियम, 2026”

1. संक्षिप्त नाम और लागू होना।

- I. इन नियमों को “अंडमान और निकोबार द्वीप समूह नगर और ग्राम योजना (संशोधन) नियम, 2026” कहा जाएगा।
- II. ये पूरे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश में लागू होंगे।
- III. ये भारत के राजपत्र (Official Gazette) में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह नगर और ग्राम योजना नियम, 2005 (जिसे इसके बाद मुख्य नियम, 2005 कहा जाएगा) के नियम-3 के उप-नियम 3(a) के बाद, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा:

3(3)(a) एडमिनिस्ट्रेटर, उस डेवलपमेंट एरिया के लिए नया मास्टर प्लान फाइनल होने तक, मौजूदा मंजूर मास्टर प्लान को ऐसे बदलावों के साथ जारी रखने की इजाजत दे सकते हैं, जिनकी जानकारी अलग से दी जाएगी।

इस बदलाव के दौर में, संबंधित डेवलपमेंट एरिया में प्लानिंग की मंजूरी, ज़मीन के इस्तेमाल के नियम, डेवलपमेंट की मंजूरी, बिल्डिंग की मंजूरी और डेवलपमेंट कंट्रोल से जुड़े सभी मामले मौजूदा मास्टर प्लान (समय-समय पर किए गए बदलावों के साथ) और लागू नियमों, डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत ही चलते रहेंगे।

उप-राज्यपाल
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

उप-राज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर,

उप-सचिव (पीडब्ल्यूडी)
अंडमान और निकोबार प्रशासन,
सचिवालय, श्री विजय पुरम